

-1-

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू(राज0)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश प्रसाद गौड़

आर. ए. एस.

प्रकरण अपील संख्या : 59/2020

बलवान पुत्र भान सिंह, उम्र 42 वर्ष, जाति खाती, निवासी ढाकामण्डी, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू जरिये पत्नि सरोज उर्फ उर्मिला। - प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू। - रेस्पोंडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना

उनवानी सरकार बनाम बलवान अ0 धारा 91एल0आर0एक्ट 1956

मुकदमा नम्बर 119/2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री शिव हरिप्रसादअपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैनी राज0सरकार की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 25.02.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.09.2020 सरकार बनाम बलवान मुकदमा नम्बर 119/2020 अ0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट 1956, न्यायालय तहसीलदार बुहाना के पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 175 गै0 मु0 जोहड़ सरहद मौजा ढाकामण्डी तहसील बुहाना पर 0.01 हैक्टेयर पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर 1/- रुपये जुर्माना बतौर शास्ति से दण्डित किया है। जिस पर अपीलान्ट ने



119

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जरिये पत्नि सरोज उर्फ उर्मिला अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.07.2020 अपूर्ण व अस्पष्ट है तथाकथित स्थल की लम्बाई चौड़ाई का अंकन नहीं है। ना ही अतिक्रमण स्थल का नक्शा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट पर भू-निरिक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट/जांच नहीं की गई है कि अतिक्रमण है या नहीं है। अतिक्रमण वैध है या गैर कानूनी। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरिक्षक ने उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित बतौर साक्षी होकर साबित भी नहीं किया है। इस प्रकार तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट साबित नहीं है। मुकदमा नम्बर 230/1976 उनवानी सरकार बनाम रामदयाल वगैरह का मुकदमा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम गत खसरा नम्बर 126 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील खेतड़ी अनेक गैर सायलान के विरुद्ध चला पीटासीन अधिकारी के समक्ष हाजिर होकर अपने अपने पुराने कब्जे बताकर अपने एवं अपने गवाहन के बयान करवाये। तहसीलदार महोदय खेतड़ी ने पटवार हल्का से नक्शा मौका एवं जांच रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुए दिनांक 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F-(17) राज0/ख/79 दिनांकित 03.07.1971 का अनुसरण करते हुए कब्जा नियमन योग्य माना तथा सनद फीस 5/- रुपये व शास्ति 125/- रुपये कुल 130/- रुपये जमा करवाये जाने पर सनद/पट्टा जारी किये जाने के आदेश दिये जिस पर गैर सायलान ने/अपीलान्ट के पूर्वजों ने दिनांक 14.09.1976 को 130/- रुपये जमा करवा दिये। इस प्रकार अपीलान्ट के विरुद्ध दफा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 14.09.2020 खारीज होने योग्य है। तहसीलदार बुहाना के आदेशानुसार सम्वत 2068 में खसरा संपरिवर्तन तथा गैर मुस्तकील रिपोर्ट जो 1 लगायत 132 गैर सायलान को प्रश्नगत खसरा नं0 126 हाल खसरा नम्बर 175 मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील बुहाना क्रम संख्या 115 बलवान सिंह पुत्र भान सिंह रकबा 0.02 है0 क्रम संख्या 117 भानसिंह पुत्र सरदाराराम रकबा 0.04 है0 क्रम संख्या 127 धर्मपाल रकबा 0.04 है0 कुल खसरा संपरिवर्तन रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा वर्तमान तथाकथित प्रकरण में 0.02 हैक्टेयर पर अतिक्रमण मानकर बेदखल का आदेश दिया है जो नियमन कार्यवाही के विरुद्ध आदेश है जो काबिले खारिज होने योग्य है। निर्णय दिनांक 13.09.1976 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के आदेशानुसार आवासीय रूप में संपरिवर्तन कर देने के पश्चात जब तक संपरिवर्तन आदेश निरस्त नहीं करवा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। सुनवाई सिविल न्यायालय ही कर सकता है फिर भी अदालत मातहत ने बिना क्षेत्राधिकार आदेश पारित कर कानूनी गलती की है। तथाकथित प्रश्नगत भूमि पर संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत दोहरे ट्राईल से मुक्त है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धान्त को अदालत मातहत ने नजर अंदाज करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय किया है। तथाकथित अतिक्रमी स्थल पर अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजों का दिनांक 01.07.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर तहसीलदार महोदय खेतड़ी ने प्रश्नगत भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया था। प्रश्नगत भूमि गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ सरहद ढाकामण्डी के सम्पूर्ण भू-भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुए हैं जहां पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधा जैसे विद्युत कनेक्शन, पानी सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए कुआं, पाईप लाईन, इन्टरलॉक सड़क निर्माण आदि। इस तरह अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण नहीं है नियमन योग्य व वैध है। अपीलान्ट के साथ अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। अदालत मातहत ने सयुक्त रूप से अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है जो कानूनन वैध नहीं है। इस तरह आज्ञापक आदेशों की पालना नहीं कर विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस बिना किसी स्पष्ट आधारों के पारित किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा आदेश दिनांक 01.01.1971 का आदेश नियमन योग्य क्यों नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 02.09.2020 जबाब एवं विधुत बिल की प्रति का निर्णय जैर बहस में डिस्कस नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र एवं बिल सपरिवर्तन आदेश निर्णय दिनांक 01.07.1971 को एवं सनद (पट्टा) एवं उसकी जमा शुल्क रसीद को सही क्यों नहीं माना डिस्कस जैर बहस में नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अपनी जमीन होना मानकर ही मकान सदभाविक रूप से किया है। तहसीलदार महोदय ने प्रश्नगत जमीन गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ढाकामण्डी की सरहद में तहसीलदार खेतड़ी ने मुकदमा नम्बर 230/70 बउनवानी सरकार बनाम रामदयाल जो अपीलान्ट के पूर्वज हैं में प्रश्नगत भूमि पर 1 लगायत 135 व्यक्तियों को 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन आदेश दिया था। पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है अपीलान्ट की मंशा

अति. जिला कलेक्टर
हनुमान

अतिक्रमण करने की कभी नहीं रही। उपरोक्त परिस्थितियों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया जो तथ्य विधि की भूल है। अदालत मातहत का निर्णय जैर बहस बिना किसी आधार व बिना क्षेत्राधिकार, अवैध व शून्य कपटपूर्ण होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 04.09.2020 को खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत तलब होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने कथन किया कि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.07.2020 अपूर्ण व अस्पष्ट है तथाकथित स्थल की लम्बाई चौड़ाई का अंकन नहीं है। ना ही अतिक्रमण स्थल का नक्शा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट पर भू-निरिक्षक द्वारा कोई रिपोर्ट/जांच नहीं की गई है कि अतिक्रमण है या नहीं है। अतिक्रमण वैध है या गैर कानूनी। पटवारी हल्का व भू- अभिलेख निरिक्षक ने उक्त रिपोर्ट को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित बतौर साक्षी होकर साबित भी नहीं किया है। तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट साबित नहीं है। मुकदमा नम्बर 230/1976 उनवानी सरकार बनाम रामदयाल वगैरह का मुकदमा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम गत खसरा नम्बर 126 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील खेतड़ी अनेक गैर सायलान के विरुद्ध चला पीठासीन अधिकारी के समक्ष हाजिर होकर अपने-अपने पुराने कब्जे बताकर अपने एवं अपने गवाहन के बयान करवाये। तहसीलदार खेतड़ी ने पटवार हल्का से नक्शा मौका एवं जांच रिपोर्ट के आधार को सही मानते हुए दिनांक 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F-(17) राज0/ख/79 दिनांकित 03.07.1971 का अनुसरण करते हुए कब्जा नियमन योग्य माना तथा सनद फीस 5/- रुपये व शास्ति 125/- रुपये कुल 130/- रुपये जमा करवाये जाने पर सनद/पट्टा जारी किये जाने के आदेश दिये जिस पर गैर सायलान ने/अपीलान्त के पूर्वजों ने दिनांक 14.09.1976 को 130/- रुपये जमा करवा दिये। इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 14.09.2020 खारीज होने योग्य है। तहसीलदार बुहाना के आदेशानुसार सम्वत 2068 में खसरा संपरिवर्तन तथा गैर मुस्तकील रिपोर्ट जो 1 लगायत 132 गैर सायलान को प्रश्नगत खसरा नं0 126 हाल खसरा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

नम्बर 175 मौजा ग्राम ढाकामण्डी तहसील बुहाना क्रम संख्या 115 बलवान सिंह पुत्र भान सिंह रकबा 0.02 है0 क्रम संख्या 117 भानसिंह पुत्र सरदाराराम रकबा 0.04 है0 क्रम संख्या 127 धर्मपाल रकबा 0.04 है0 कुल खसरा संपरिवर्तन रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा वर्तमान तथाकथित प्रकरण में 0.02 हैक्टेयर अतिक्रमण मानकर बेदखल का आदेश दिया है जो नियमन कार्यवाही के विरुद्ध आदेश है । निर्णय दिनांक 13.09.1976 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के आदेशानुसार आवासीय रूप में सपरिवर्तन कर देने के पश्चात जब तक सपरिवर्तन आदेश निरस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। सुनवाई सिविल न्यायालय ही कर सकता है अदालत मातहत ने बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित कर कानूनी गलती की है । तथाकथित प्रश्नगत भूमि पर संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत दोहरे ट्राईल से मुक्त है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धान्त को अदालत मातहत ने नजर अंदाज करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय किया है । तथाकथित अतिक्रमी स्थल पर अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजों का दिनांक 01.07.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर तहसीलदार खेतड़ी ने प्रश्नगत भूमि को नियमन करने का आदेश पारित किया था। प्रश्नगत भूमि गत खसरा नं0 126 एवं हाल खसरा नं0 175 गैर मुमकिन जोहड़ सरहद ढाकामण्डी के सम्पूर्ण भू-भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुए हैं जहां पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मूलभूत सुविधा जैसे विद्युत कनेक्शन, पानी सप्लाई, पानी सप्लाई के लिए कुआं, पाईप लाईन, इन्टरलॉक सड़क निर्माण आदि। इस तरह अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण नहीं है नियमन योग्य व वैध है। अपीलान्ट के साथ अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। अदालत मातहत ने सयुक्त रूप से अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है जो कानूनन वैध नहीं है। इस तरह आज्ञापक आदेशों की पालना नहीं कर विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर निर्णय जैर बहस पारित किया है । अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस बिना किसी स्पष्ट आधारों के पारित किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट का कब्जा आदेश दिनांक 01.01.1971 का आदेश नियमन योग्य क्यों नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 02.09.2020 जबाब एवं विधुत बिल की प्रति का निर्णय जैर बहस में डिस्कस नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र एवं बिल सपरिवर्तन आदेश निर्णय दिनांक 01.07.1971 को एवं सनद (पट्टा) एवं उसकी जमा शुल्क रसीद को सही क्यों नहीं माना डिस्कस जैर बहस

5111
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

में नहीं किया गया है। अपीलान्त ने अपनी जमीन होना मानकर ही मकान सदभाविक रूप से किया है। तहसीलदार महोदय ने प्रश्नगत जमीन गत खसरा नं० 126 एवं हाल खसरा नं० 175 गैर मुमकिन जोहड़ मौजा ढाकामण्डी की सरहद में तहसीलदार खेतड़ी ने मुकदमा नम्बर 230/70 बउनवानी सरकार बनाम रामदयाल जो अपीलान्त के पूर्वज हैं में प्रश्नगत भूमि पर 1 लगायत 135 व्यक्तियों को 01.01.1971 से पूर्व का कब्जा मानकर नियमन आदेश दिया था। पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की है अपीलान्त की मंशा अतिक्रमण करने की कभी नहीं रही। उपरोक्त परिस्थितियों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस पारित किया जो तथ्य विधि की भूल है। अदालत मातहत का निर्णय जैर बहस बिना किसी आधार व बिना क्षेत्राधिकार, अवैध व शून्य कपटपूर्ण होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के आदेश दिनांक 04.09.2020 को खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि पटवारी हल्का झांझा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 कुल रकबा 4173 है०, किस्म गै०मु० जोहड़ के रकबा 0.01 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पटवारी हल्का झांझा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 175 कुल रकबा 4.17 है०, किस्म गै०मु० जोहड़ के रकबा 0.01 हैक्टर पर मकान व चार दिवारी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना बताया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांत को नोटिस जारी कर सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। राजकीय गैर मु० जोहड़ की भूमि नियमन योग्य भूमि नहीं है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांत का कब्जा वैध

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 उनवानी सरकार बनाम बलवान मुकदमा नम्बर 119/2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



ज. 1
(जे० पी० गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज. 1
(जे० पी० गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

-निर्णय-

दिनांक 25.02.2021

अपील दिनांक 14.09.2020 सरकार बनाम बलवान मुकदमा नम्बर 119/2020 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के पेश की गई। तहसीलदार बुहाना ने अपीलांत को खपरा नम्बर 119/2020 अर्थात् अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।